INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

उ.प्र. पुलिस कांस्टेबल

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड

भाग – 2

भूगोल + इतिहास + राजव्यवस्था + अर्थव्यवस्था + उ. प्र. GK + विविध

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स "**उ. प्र. पुलिस कांस्टेबल**" को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ये नोट्स पाठकों को **उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा "**उ. प्र. पुलिस कांस्टेबल**" भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें।*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है। अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp link - https://wa.link/x78yp5

Online Order link - http://surl.li/oqkad

मूल्य : ₹	संस्करण : नवीनतम

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
	राजनीतिक विज्ञान	
1.	संविधान सभा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	1
2.	भारतीय संविधान की विशेषताएं	5
3.	उद्देशिक (प्रस्तावना)	7
4.	मौलिक अधिकार	9
5.	नीति निदेशक तत्व	14
6.	मूल कर्त्तव्य	16
7.	राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति	16
8.	संघीय विधानमंडल (संसद)	21
9.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद	27
10.	उच्चतम न्यायालय	28
11.	राज्य कार्यपालिका (राज्यपाल)	29
12.	मुख्यमंत्री, राज्य महाधिवक्ता, राज्य विधानमंडल	31
13.	उच्च न्यायालय	37
14.	पंचायती राज	39
15.	निर्वाचन आयोग	44
16.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	45
17.	नीति आयोग	46
18.	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग	47
19.	संविधान संशोधन	48
	भारत का भूगोल	
1.	सामान्य परिचय	49
2.	भारत का भौतिक विभाजन	54
3.	मानसून तंत्र व वर्षा का वितरण	67
4.	प्रमुख नदियाँ एवं झीलें	70
5.	भारत के वन एवं वन्य जीव, वनस्पति	80
6.	प्रमुख फसलें	83
7.	प्रमुख खनिज	86

8.	प्रमुख औद्योगिक प्रदेश	90
	विश्व भूगोल	
1.	ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, महाद्वीप, स्थल, नदियाँ, मैदान इत्यादि	97
	इतिहास	
	प्राचीन भारत का इतिहास	
1.	सिंधु घाटी सभ्यता	118
2.	वैदिक काल	121
3.	बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म	124
4.	महाजनपद काल	129
5.	मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल	130
6.	गुप्तकाल एवं गुप्तोत्तर काल	133
7.	कुषाण वंश एवं सातवाहन राजवंश	135
	मध्यकालीन भारत	
1.	अरबों का सिंध पर आक्रमण	137
2.	दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश	139
3.	बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य	148
4.	मुगल साम्राज्य	150
	आधुनिक भारत का इतिहास	
1.	यूरोपीय कंपनियों का आगमन	158
2.	अंग्रेजों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ	163
3.	1857 की क्रांति	169
4.	भारत में राष्ट्रीय जागरण या आंदोलन	157
5.	गांधी युग और असहयोग आंदोलन से आजादी तक	174
	भारतीय संस्कृति	
1.	संस्कृति के कुछ महत्त्वपूर्ण विषय	179
2.	भारतीय नृत्य कलाएं	181
	अर्थशास्त्र	
1.	अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारनाएं	183

2.	राष्ट्रीय आय और उत्पाद	184
3.	मुद्रा एवं बैंकिंग	185
4.	बजट एवं बजट निर्माण	187
5.	वस्तु एवं सेवा कर	192
7.	गरीबी एवं बेरोजगारी	195
	उत्तरप्रदेश का सामान्य ज्ञान	
1.	उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय	198
2.	उत्तर प्रदेश की राजव्यवस्था	207
3.	भौगोलिक स्थिति नदियाँ, वन्य जीव अभ्यारण	216
	विविध • महत्त्वपूर्ण दिवस 2023 • राज्यों एवं अन्य देशों की राजधानी एवं मुद्रा • भारत के प्रमुख मंदिर • प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक 2023-24 • भारत के प्रमुख खेल 2023-24 • राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 • खेल एवं खिलाड़ी 2023-24 • भारत के प्रमुख शहर एवं उपनाम • विश्व के प्रमुख संगठन • आविष्कार एवं आविष्कारक • इसरो के प्रमुख मिशन 2023 इत्यादि	236
❖	मानव अधिकार	279
❖	उत्तरप्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था	283
❖	साइबर क्राइम	287
❖	विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव	291
❖	सूचना एवं संचार, सोशल मीडिया	293

भारतीय संविधान

अध्याय - I

संविधान सभा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**

कम्पनी का शासन [1773 से 1858 तक]

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट

- इस अधिनियम द्वारा **बंगाल के गवर्नर** को **'बंगाल का गवर्नर जनरल** कहा गया।
- इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर 'बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गये ।
- इसके अन्तर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जिसका क्षेत्राधिकार कलकता था ।
- इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का 'कोर्ट आफ डायरेक्टर्स' के माध्यम से कम्पनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया ।
- **बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लार्ड वारेन हेस्टिंग्स थे।**
- कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश **'एलिजा इम्पे'** थे।

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

- इस एक्ट को एक्ट ऑफ सैटलमेण्ट के नाम से भी जाना जाता है।
- इसने कम्पनी के राजनैतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया।
- भारत में कम्पनी अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया।
- ब्रिटिश सरकार को भारत में कम्पनी के कार्यो और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया ।

1833 का चार्टर अधिनियम

- इस अधिनियम ने **बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया।**
- इसने मद्रास एवं बंबई के गवर्नरों को विधायिका सबंधी शक्ति से वंचित कर दिया ।
- **लार्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।**

1853 का चार्टर अधिनियम

- 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किये गये चार्टर अधिनियम के श्रृंखला में अधिनियम अन्तिम था।
- इसने पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यो को अलग कर दिया ।
- इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारम्भ कर दिया।
- **इसने पहली बार भारतीय केन्द्रीय विधान परिषद् में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारम्भ किया ।**

ताज का शासन [1858 से 1947 तक]

- 1858 का भारत शासन अधिनियम ।
- 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद् अधिनियम ।
- भारत शासन अधिनियम, 1919
- भारत शासन अधिनियम, 1935
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

1858 का भारत शासन अधिनियम

- भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को समाप्त कर दिया ।
- इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया ।
- **गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया ।**
- **लार्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने ।**
- एक नए पद **'भारत के राज्य सचिव'** का सृजन किया गया।

1861 के भारत परिषद् अधिनियम

- 1862 में लार्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद् में मनोनीत किया ।
- इस अधिनियम में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की ।
- बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ।

1892 का अधिनियम

- इसके माध्यम से केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदो में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई ।
- इसने विधान परिषदो के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने के लिए अधिकृत किया।

1909 के अधिनियम

- **इस अधिनियम को मार्ले मिन्टो सुधार के नाम से जाना जाता है ।**
- इसने केन्द्रीय एवं प्रान्तीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की जिसके परिणामस्वरूप परिषदों की संख्या 16 से 60 हो गई ।
- इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों की चर्चाओं का दायरा बढ़ाया ।
- **सतेन्द्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद् के प्रथम भारतीय सदस्य बने ।**
- इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर **मुस्लिमों के लिए साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान** किया।

भारत शासन अधिनियम 1919

- इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभाजित किया– **हस्तान्तरित और आरक्षित ।**
- इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था आरम्भ की । प्रत्यक्ष निर्वाचन से तात्पर्य आम जनता द्वारा सीधे मत देकर अपना प्रतिनिधि चुनने से है ।
- इसके अनुसार कार्यकारी परिषद् के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक है।
- इससे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ।
- इसने पहली बार केन्द्रीय बजट राज्यों के बजट से अलग कर दिया
- इसके अन्तर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया ।

भारत सरकार अधिनियम 1935

- **इसमें 321 धारा व 10 अनुसूचियां** थी।
- इसने **अखिल भारतीय संघ की स्थापना की**
- इस अधिनियम में केन्द्र एवं इकाइयों के बीच **तीन सूचियों संघीय सूची** (59 विषय), **राज्य सूची** (54 विषय), और **समवर्ती सूची (** दोनो के लिए, 36 विषय) के आधार पर शक्तियों का बटवारा किया
- संघ सूची – ऐसे विषय जिनपर केवल केन्द्र कानून बना सकता है ।
- राज्य सूची –ऐसे विषय जिनपर केवल राज्य कानून बना सकते हैं ।
- समवर्ती सूची –ऐसे विषय जिनपर केन्द्र व राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती हैं ।
- इसने केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया और प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी
- इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारम्भ की।
- इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद् को समाप्त कर दिया ।
- **इसके अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई ।**
- इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई ।

भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947

- इसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया, 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र एवं सम्प्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया ।
- इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया।
- इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया ।
- **इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभु को समाप्ति की घोषणा की ।**
- इसने शाही उपाधि से 'भारत का सम्राट' शब्द समाप्त कर दिया।

अंतरिम सरकार

जवाहर लाल नेहरू - स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल (1947)
सरदार वल्लभभाई पटेल - गृह, सूचना एवं प्रसारण
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद - खाद्य एवं कृषि
जॉन मथाई - उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति
जगजीवन राम - श्रम
सरदार बलदेव सिंह - रक्षा
सी. एच. भाभा - कार्य, खान एवं उर्जा
लियाकत अली खां - वित्त
अब्दुर रख निश्तार - डाक एवं वायु
आसफ अली - रेलवे एवं परिवहन
सी. राजगोपालाचारी - शिक्षा एवं कला
आई. आई. चुंदरीगर - वाणिज्य
गजनफर अली खान - स्वास्थ्य
जोगेंद्र नाथ मंडल - विधि

स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमण्डल (1947)

जवाहर लाल नेहरू	- प्रधानमंत्री, राष्ट्रमण्डल तथा विदेशी मामलों
सरदार वल्लभभाई पटेल	- गृह, सुचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	- खाद्य एवं कृषि
मौलाना अबुल कलाम आजाद	- शिक्षा
डॉ. जॉन मथाई	- रेलवे एवं परिवहन
आर. के. षणमुगम शेट्टी	- वित्त
डॉ. बी. आर. अंबेडकर	- विधि
जगजीवन राम	- श्रम
सरदार बलदेव सिंह	- रक्षा
राजकुमारी अमृत कौर	- स्वास्थ्य
सी. एच. भाभा	- वाणिज्य
रफी अहमद किटवई	- संचार
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	- उद्योग एवं आपूर्ति
वी. एन. गाडगिल	- कार्य, खान एवं ऊर्जा

संविधान सभा

- भारत में **संविधान सभा** के गठन का विचार वर्ष **1934 में पहली बार एम० एन. रॉय ने रखा ।**
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की ।
- 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की स्वतंत्र भारत के **संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर**

चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जायेगा । नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे **1940 के अगस्त प्रस्ताव** के रूप में जाना जाता है।

- **क्रिप्स मिशन 1942 में भारत** आया ।

क्रिप्स मिशन

- लॉर्ड **सर पैथिक लारेंस** (अध्यक्ष)
- ए. वी. अलेक्जेंडर
- सर स्टेफोर्ड क्रिप्स
- कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के अनुसार **नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ** । मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का स्वरूप निम्नलिखित प्रकार का होना था –
- सविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को और 93 सीटें देसी रियासतों को दी जानी थी ।
- हर ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थी । आमतौर पर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन होना था ।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों का निर्धारण तीन प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था । यह तीन समुदाय थे :- मुस्लिम, सिख व सामान्य (मुस्लिम और सिख को छोड़कर) ।
- प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के **सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था** के अनुसार किया जाना था ।
- देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन चुनाव द्वारा नहीं, बल्कि रियासत के प्रमुखो द्वारा किया जाना था ।

स्पष्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से निम्नांकित सभा थी ।

उपरोक्त योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए । इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे दलों व निर्दलीय सदस्यों को 15 सीटें मिली । देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाए क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय ले लिया था ।

आक्षेप किया जा सकता है कि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था । तब भी यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि इसमें प्रत्येक समुदाय :- हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को स्थान प्राप्त हुआ था । इसमें पुरुषों के साथ पर्याप्त संख्या में महिलाएँ भी थी । महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दे तो सभा में उस समय के भारत के सभी प्रसिद्ध व्यक्तित्व शामिल थे ।

उद्देश्य प्रस्ताव :-

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को वर्तमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई । मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग उठाई । सभा के सबसे **वरिष्ठ सदस्य डॉ सच्चिदानंद सिन्हा** को सभा का **अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया । 2 दिन** पश्चात **11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को** सभा का **स्थाई अध्यक्ष बनाया** गया, इसके **2 दिन** पश्चात **13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरु ने संविधान** सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। संक्षेप में इस प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्नलिखित थी :-

- भारत को एक स्वतंत्र तथा संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित किया जाए ।
- भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी।
- इस गणराज्य में भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समानता प्राप्त होगी।
- भारत के समस्त नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति,संस्था बनाने,कोई व्यवसाय करने,किसी भी धर्म को मानने या न मानने कि स्वतंत्रता होगी।
- अल्पसंख्यकों,अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएंगे ।
- देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा ।
- भारत की प्राचीन सभ्यता को उसका उचित स्थान व अधिकार दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति व मानव कल्याण में उसका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा।

इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं व इच्छाओं का सूचक था, जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे । यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की 'प्रस्तावना' का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया ।

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

अस्थायी अध्यक्ष	-	सच्चिदानन्द सिन्हा
अध्यक्ष	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
उपाध्यक्ष	-	डॉ. एच. सी मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी

❖ 13 दिसम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया।

संविधान सभा के अन्य कार्य

- मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ।
- 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया ।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया ।
- 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया ।
- **24 जनवरी 1950 को राजेन्द्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति चुनना ।**

उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश) कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा ।

- पद रिक्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाना आवश्यक हैं । वर्तमान या भूतपूर्व राष्ट्रपति, संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा ।
- पद- धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकि अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के संम्मुख शपथ लेनी पड़ती हैं ।

नोट- अनुच्छेद-77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका करवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई खी जाएगी। और अनु. 77 (3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किये जाने के लिए और मंत्रिओं में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा ।

राष्ट्रपति से सम्बंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद
अनु.52 : भारत का राष्ट्रपति
अनु.53 : संघ की कार्यपालिका शक्ति
अनु.54 : राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल
अनु.55 : राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
अनु.56 : राष्ट्रपति की पदावधि
अनु.57 : पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
अनु.58 : राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ
अनु.59 : राष्ट्रपति पद के लिए शर्ते
अनु.60 : राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनु.61 : राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
अनु.62 : राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
अनु.72 : क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति
अनु.73 : संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

- **राष्ट्रपति निम्न दशाओं में पांच वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता हैं ।**

  उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जायेगा जो इसकी सूचना लोक सभा अध्यक्ष को देगा । अनु. 56 (2)
- महाभियोग द्वारा हटाये जाने पर अनु 61 महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार हैं, जो अनु. 61 (1) में उल्लेखित हैं वह हैं संविधान का अतिक्रमण ।

राष्ट्रपति पर महाभियोग अनु. 61 :-

- महाभियोग संसद मे संपन्न होने वाली एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया हैं । राष्ट्रपति को 'संविधान का अतिक्रमण' करने पर उसके पद से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता हैं । हालाँकि संविधान, 'संविधान का अतिक्रमण' वाक्यांश के अर्थ को परिभाषित नहीं करता ।
- राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के अतिक्रमण का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता हैं । एक सदन द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाए जाने पर दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा करवाएगा ।
- राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं । आरोप एक प्रस्थापना के रूप में होगा और प्रस्थापना संकल्प में हागी । संकल्प को प्रस्तावित करने की सूचना पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होंगक । इस हेतु 14 दिनों की अग्रिम सूचना देना आवश्यक हैं । संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए ।
- जब एक सदन द्वारा इस प्रकार आरोप लगाया जाता हैं तो दूसरे सदन द्वारा उसका अन्वेषण होगा । राष्ट्रपति को ऐसे अन्वेषण में उपस्थिति होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करवाने का अधिकार होगा, अर्थात् राष्ट्रपति के प्रतिनिधित के रूप में कोई अधिवक्ता या अन्य व्यक्ति उपस्थिति हो सकता हैं । सदन अन्वेषण का काम किसी न्यायालय या अधिकरण को प्रत्यायोजित कर सकता हैं । यदि अन्वेषण के पश्चात् सदन दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित कर देता हैं कि आरोप सिद्ध हो गया हैं तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके पारित किए
- जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसने पद से हटाना होगा।
- अमरीका में सीनेट को महाभियोग के विचारण का अधिकार हैं, कांग्रेस को नहीं । विचारण की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करता हैं । हटाए जाने का संकल्प विचारण में उपस्थिति सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित होता हैं
- चूँकि संविधान राष्ट्रपति को हटाने का आधार और तरीका प्रदान करता हैं, अतः अनुच्छेद 56 और 61 की शर्तों के अनुरूप महाभियोग के अतिरिक्त उसे और किसी भी तरीके से नहीं हटाया जा सकता हैं ।
- स्पष्टीकरण
- 'महाभियोग' इतना असाधरण शब्द हैं कि इसको गलत समझा जा सकता हैं । एक सामान्य गलत अवधारणा यह हैं कि इसे 'पद से जबरन हटाना' समझा जाता हैं ।
- 'महाभियोग' शब्द ब्रिटिश परम्परा से उत्पन्न हुआ हैं, जिसका अर्थ किसी सरकारी अधिकारी को बिना किसी सरकारी अनुबंध के तथा महाभियोग द्वारा दोषसिद्ध हो जाने पर उसके पद से हटाना हैं । भारत में, यह एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया हैं और केवल राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता हैं ।
- संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, महाभियोग में भाग ले सकते हैं ।

अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाचन अनु. 70

- जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनु.-70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबन्ध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, 1969 ई. पारित किया। जो यह उपबंधित करता है की यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नही है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नही रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्टतम न्यायाधीश, जो उस समय उपलब्ध हो, राष्ट्रपति के कृत्यों को सम्पादित करेगा।

राष्ट्रपति के वेतन भत्ते :-

- राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है।
- राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है।
- राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास-स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं।
- राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नही की जा सकती है।
- राष्ट्रपति के लिए 1 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार :-

- भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है
- प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है।
- सर्वोच्य न्यायालयों एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति।
- राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति।
- मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त।
- भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति।
- राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अन्तर्राज्यीय परिसद के सदस्य।
- संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों।
- संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों।
- वित्त आयोग के सदस्यों।
- भाषा आयोग के सदस्यों।
- पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों।
- अल्प संख्यक आयोग के सदस्यों।
- भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों।
- अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि।

2 विधायी शक्तियां :- राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त होती है।

- संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार प्राप्त है।
- संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति।
- लोक सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति।
- संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है।
- संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। (A) नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। (B)**धन विधेयक अनु.110** (C)संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक **अनु.117** (3) (D)ऐसे काराधान पर, जिसमें राज्य-हित जुड़े हैं, प्रभाव डालने वाले विधेयक (E) राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बन्धन लगाने वाले विधेयक **अनु.-304**
- यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है **अनु.108** के तहत।

नोटः- किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नही **अनु.113**

3 संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकारः-

- जब राष्ट्रपति को यह लगे की लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नही है,तब वह समुदाय के दो व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है **अनु.331** के तहत।
- इसी प्रकार वह कला, साहित्य पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में प्रयाप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्य सभा में नामजद कर सकता है **अनु.80 (3)** के तहत

1. अध्यादेश जारी करने की शक्ति :-

- संसद के स्थगन के समय **अनु. 123** के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के छह सप्ताह तक रहता है। परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नही जारी कर सकता , जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब, राष्ट्रपति को यह शक्ति नही होती है।

2. सैनिक शक्ति :-

- सैन्य बलों की सर्वोच्य शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। किन्तु इसका वास्तविक प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है।

3. राजनैतिक शक्ति :-

- दूसरे देशो के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय

अगस्त 1969 ई. तक एवं बी. डी.जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 ई. तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे।

उप राष्ट्रपति (अनुच्छेद-63)

- संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया ग्रहण किया गया है।
- भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। (अनु.-64 एवं अनु -89)
- उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सदस्य नही होता है। अतः इसे मतदान का अधिकार नही है किन्तु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है।
- **योग्यता :-** कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा, जब वह –
- भारत का नागरिक हो।
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चूका हो।
- राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
- निर्वाचन के समय की लाभ के पद पर कार्यरत न हो।
- वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नही हो सकता और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जायेगा की उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मण्डल अनु.- 66

- उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है।
- उपराष्ट्रपति पद के लिए अभ्यर्थी का नाम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा रुपये 15000 की जमानत राशी जमा करना आवश्यक होता है।
- **नोट :-** संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचकगण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते है।
- उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है।

उपराष्ट्रपति की पदावधि अनु.- 67 :-

- उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा परन्तु
- (A) उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। **(अनु.-67 क)**
- (B) उपराष्ट्रपति राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोक सभा सहमत है। किन्तु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नही किया जायेगा जब तक की उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दी गई हो। **(अनु.-67 ख)**
- **(C)** उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नही कर लेता है **अनु :-67 (ग)**
- उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किये गए कार्य अवैध नही होते है।
- राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है **(अनु-65)** उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अवधि अधिकतम 6 महीने की होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियों उन्मुक्तियों उपलब्धियों, भत्तो और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होता होगा।
- **नोट:-**जिस किसी कालावधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्य सभा के सभापति के पद के कार्यों को नही करेगा और **अनु.-97** के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नही होगा।

भारत के उप राष्ट्रपति

क्र.स.	नाम	कार्यकाल
1.	डॉ. एस. राधाकृष्णन	1952–1962
2.	डॉ. जाकिर हुसैन	1962-1967
3.	वी. वी. गिरि	1967-1969
4.	गोपाल स्वरूप पाठक	1969-1974
5.	बी. डी. जत्ती	1974-1979
6.	न्यायमूर्ति मो.हिदायतुल्ला	1979-1984
7.	आर. वेंकटरमण	1984-1987
8.	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	1987- 1992
9.	के. आर. नारायण	1992- 1997
10.	कृष्णकांत	1997- 2002
11.	भैरो सिंह शेखावत	2002- 10.08.2007
12.	हामिद अंसारी	11.08.2007- 11.08.2017
13.	एम. वेंकैया नायडू	11.08.2017--- 11.08.2022
14.	जगदीप धनखड़	11.08.2022.....

उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉ. एस. राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे।

- नए राज्यों का प्रवेश/स्थापना (अनुच्छेद 2)
- नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन (अनुच्छेद 3)
- दूसरी अनुसूची (वेतन, भते और विशेषाधिकार)
- राज्यों में विधान परिषद का गठन/उत्सादन (अनुच्छेद 169)
- संसद में गणपूर्ति (अनुच्छेद 100)
- संसद सदस्यों का वेतन और भत्ता (अनुच्छेद 106)
- संसद की प्रक्रिया के नियम (अनुच्छेद 118)
- संसद में अंग्रेजी का उपयोग
- सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या

साधारण बहुमत

- संसद, उसके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105)
- सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि (अनुच्छेद 138)
- आधिकारिक भाषा का उपयोग (अनुच्छेद 343)
- नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)
- संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव
- निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (अनुच्छेद 82)
- छठवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244)
- केंद्र शासित प्रदेश
- पांचवीं अनुसूची [अनुच्छेद 244 (1)]

विशेष बहुमत

- मूल अधिकार
- राज्य के नीति निदेशक तत्व
- वे सभी प्रावधान जो अन्य 2 प्रकारों में शामिल नहीं हैं।

संसद का विशेष बहुमत आधे + राज्यों की सहमति

- राष्ट्रपति का निर्वाचन और निर्वाचन की रीति (अनुच्छेद 54, 55)
- केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों में विस्तार
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124 और 214)
- केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण
- सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246)
- संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
- अनुच्छेद 368

भारत का भूगोल

अध्याय – 1

भारत की स्थिति व विस्तार

- भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है, जो एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है तथा तीन ओर समुद्रों से घिरा हुआ है। पूरा भारत उत्तरी गोलार्द्ध में पड़ता है।
- भारत का अक्षांशीय विस्तार 8°4' उत्तरी अक्षांश से 37°6' उत्तरी अक्षांश तक है।
- भारत का देशान्तर विस्तार 68°7' पूर्वी देशान्तर से 97°25' पूर्वी देशान्तर तक है।
- भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी. (1269219.34 वर्ग मील) है।
- कर्क रेखा अर्थात् 23½ उत्तरी अक्षांश हमारे देश के लगभग मध्य से गुजरती है यह रेखा भारत को दो भागों में विभक्त करती है (1) उत्तरी भारत , जो शीतोष्ण कटिबन्ध में फैला है तथा (2) दक्षिणी भारत , जिसका विस्तार उष्ण कटिबन्ध है।

> कर्क रेखा भारत के आठ राज्यों क्रमशः गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, प. बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम है।
>
> **NOTE-** राजस्थान की राजधानी जयपुर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतल्ला व मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा के उत्तर में तथा शेष राज्यों की राजधानियाँ दक्षिण में स्थित है।
>
> **NOTE** – मणिपुर कर्क रेखा के सर्वाधिक उत्तर में स्थित है ।
>
> **NOTE-** कर्क रेखा राजस्थान से न्यूनतम व मध्यप्रदेश से सर्वाधिक गुजरती है।

- भारत सम्पूर्ण विश्व का लगभग 1/46 वाँ भाग है।
- क्षेत्रफल के अनुसार रूस , कनाडा , चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में 7वाँ स्थान है ।
- यह रूस के क्षेत्रफल का लगभग 1/5, संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का 1/3 तथा ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का 2/5 है।
- भारत का आकार जापान से नौ गुना तथा इंग्लैण्ड से 14 गुना बड़ा है ।
- जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है।
- विश्व का 2.4% भूमि भारत के पास है जबकि विश्व की लगभग 17.5% (वर्ष 2011 के अनुसार) जनसंख्या भारत में रहती है।

- भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान व चीन, दक्षिण में श्रीलंका एवं हिन्द महासागर, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है।
- भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी (Gulf of Mannar) तथा पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) है।
- प्रायद्वीप भारत (मुख्य भूमि) का दक्षिणतम बिन्दु - कन्याकुमारी के पास केप कोमोरिन (तमिलनाडु) है।
- भारत का सुदूर दक्षिणतम बिन्दु - इन्दिरा प्वाइंट (ग्रेट निकोबार में है)।
- भारत का उत्तरी अन्तिम बिन्दु- इंदिरा कॉल (लद्दाख) है ।
- भारत का मानक समय (Indian Standard Time) इलाहाबाद के पास नैनी से लिया गया है। जिसका देशान्तर 82°30 पूर्वी देशान्तर है। (वर्तमान में मिर्जापुर) यह ग्रीनविच माध्य समय (GMT) से 5 घण्टे 30 मिनट आगे है। यह मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों क्रमशः उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा व आंध्रप्रदेश है।
- कर्क रेखा व मानक रेखा छत्तीसगढ़ राज्य में एक दुसरे को काटती है।
- भारत की लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक 3214 किमी. तथा पूर्व से पश्चिमी तक 2933 किमी. है।
- भारत की समुद्री सीमा मुख्य भूमि, लक्षद्वीप और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की कुल लम्बाई 7,516.6 कि.मी है जबकि स्थलीय सीमा की लम्बाई 15,200 किमी. है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा 6,100 किमी. है।

भारत की तटीय / समुद्री सीमा = तट रेखा की लम्बाई 7516.6 मुख्य भूमि की तटरेखा 6,100 किमी. है।

कुल राज्य = 9 [i. पश्चिमी तट के राज्य- गुजरात (राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा), महाराष्ट्र, गोवा (राज्यों में सबसे छोटी तट रेखा), कर्नाटक व केरल ii. पूर्वी तट के राज्य प. बंगाल, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु]
कुल केंद्र शासित प्रदेश= अंडमान निकोबार (सर्वाधिक), लक्षद्वीप, दमन व दीव तथा (न्यूनतम) पुद्दुचेरी

भारत के 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते है ।

देश की चतुर्दिक सीमा बिन्दु
दक्षिणतम बिन्दु - इन्दिरा प्वाइंट (ग्रेट निकोबार द्वीप) उत्तरी बिन्दु- इन्दिरा कॉल (लद्दाख) पश्चिमी बिन्दु- गोहर माता (गुजरात) पूर्वी बिन्दु- किबिथु (अरुणाचल प्रदेश) मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा- कन्याकुमारी के पास केप कोमोरिन (तमिलनाडु)

स्थलीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्य	
पाकिस्तान (4)	गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख
अफगानिस्तान (1)	लद्दाख
चीन (5)	लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश
नेपाल (5)	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम
भूटान (4)	सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश
बांग्लादेश (5)	पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम
म्यांमार (4)	अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम

पड़ोसी देशों के मध्य सीमा विस्तार	
भारत - बांग्लादेश सीमा	4096.7 किमी.
भारत-चीन	3488 किमी.
भारत-पाक सीमा	3323 किमी.
भारत - नेपाल सीमा	1751 किमी.
भारत - म्यांमार सीमा	1643 किमी.
भारत - भूटान सीमा	699 किमी.
भारत – अफगानिस्तान	106 किमी. (वर्तमान में POK में स्थित है)

पड़ोसी देशों के साथ भारत का सीमा विस्तार व सीमा संबंधी विवाद

1. **भारत – बांग्लादेश**

- भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल(सर्वाधिक), असम (न्यूनतम), मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते है।
- भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है ।
- भारत के असम राज्य बांग्लादेश के साथ दो बार सीमा बनाता है ।
- **जीरोलाइन-** बांग्लादेश व भारत के मध्य की सीमा जीरो लाइन कहलाती है।

बांग्लादेश व भारत के मध्य विवाद

तीस्ता नदी विवाद

इस नदी का उद्गम सिक्किम हिमालयी क्षेत्र के पाहुनरी ग्लेशियर से होता है । यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। भारत के

उत्तरी हिमालय वृहत् या हिमाद्रि या महान हिमालय –

- इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक धनुष की आकृति में फैला हुआ है जिसकी कुल लम्बाई 2500 km तक है तथा औसत ऊँचाई 5000- 6000 मी. तक है।
- उत्तरी हिमालय को भौतिक विभाजन के दृष्टिकोण से दो भागों में बाँटा जा सकता है-

- विश्व की सर्वाधिक ऊँची चोटियाँ इसी श्रेणी पर पाई जाती है जिसमें प्रमुख है-
- माउंट एवरेस्ट (8848 मी.) विश्व की सबसे ऊँची चोटी
- कंचनजंगा (8598 मी.)
- मकालू (8481 मी.)
- धौलागिरी (8172 मी.)
- अन्नपूर्णा (8076 मी.)
- नंदा देवी (7817 मी.)

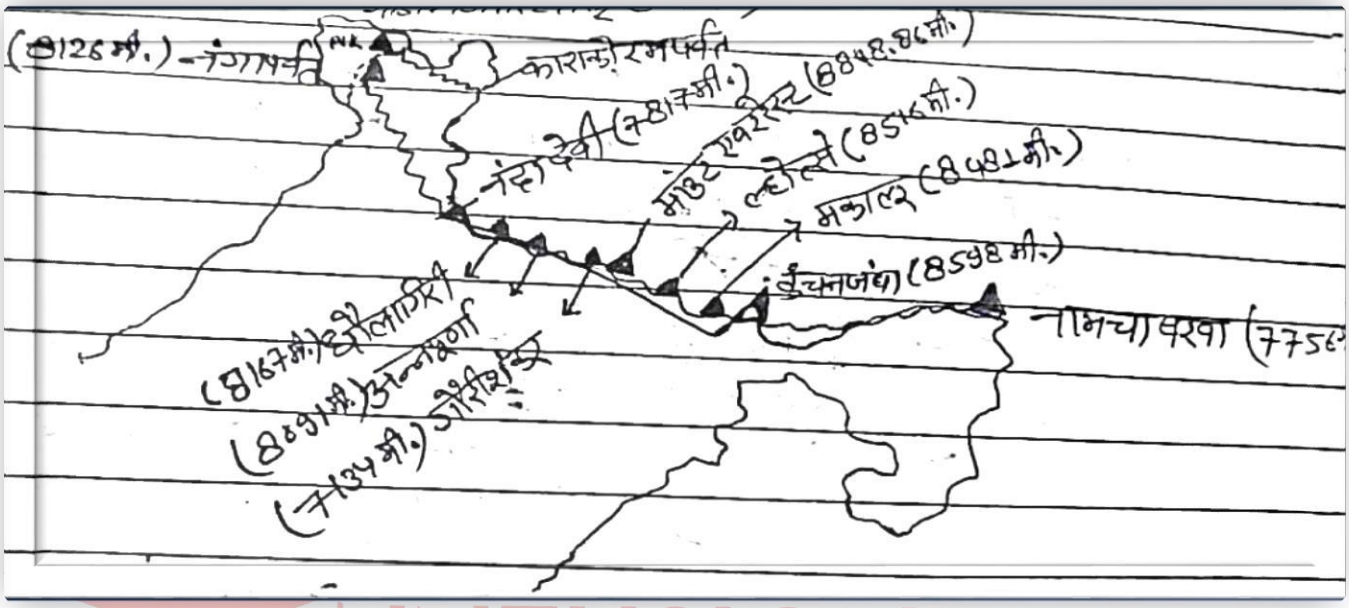

एवरेस्ट को पहले तिब्बत में 'चोमोलुगंमा' के नाम से जाना जाता था जिसका अर्थ 'पर्वतो की रानी'।

- एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरि, नंगा पर्वत , नामचा बरवा इसके महत्त्वपूर्ण शिखर हैं ।
- भारत में हिमालय की सर्वोच्च ऊँची चोटी कंचनजंगा यही स्थित हैं ।
- यह विश्व की तीसरी सबसे ऊँची चोटी है ।
- कश्मीर हिमालय **करेवा (karewa)** के लिए भी प्रसिद्ध हैं , जहाँ जाफरान (केसर की किस्म)की खेती की जाती है।
- वृहत हिमालय में जोजीला , पीर पंजाल,बनिहाल , जास्कर श्रेणी में फोटुला और लद्दाख श्रेणी में खारदुन्गला जैसे महत्त्वपूर्ण दर्रे स्थित हैं ।
- सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ , झेलम और चेनाब इस क्षेत्र को प्रवाहित करती हैं । यह हिमालय विलक्षण सौंदर्य और खूबसूरत दृश्य स्थलों के लिए जाना जाता है । हिमालय की यही रोमांचक दृश्यावली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जिसमें प्रमुख तीर्थस्थान- जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफ़ा और चरार - ए - शरीफ इत्यादि हैं।

- **लघु या मध्य या हिमाचल हिमालय** –
- महान हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक के उत्तर में इसका विस्तार है। इसकी सामान्य ऊँचाई 1800- 3000मी. है ।
- इसके अन्तर्गत कई श्रेणियाँ पाई जाती हैं।
- पीर पंजाल (जम्मू कश्मीर)
- धौलाधार (हिमाचल प्रदेश)
- नाग टिब्बा (उत्तराखण्ड)
- कुमायूँ (उत्तराखण्ड)
- महाभारत (नेपाल)
- लघु हिमालय तथा महान हिमालय के बीच कई घाटियों का निर्माण हुआ है ।
- कश्मीर की घाटी (जम्मू कश्मीर)
- कुल्लू - काँगड़ा घाटी (हिमाचल प्रदेश)
- काठमांडू घाटी (नेपाल)
- लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है जिसके अन्तर्गत शामिल हैं –
- कुल्लू, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला (हिमाचल प्रदेश)
- अल्मोड़ा, मसूरी, चमोली (उत्तराखण्ड)
- लघु हिमालय की श्रेणीयों की ढालों पर शीतोष्ण घास के मैदान पाये जाते है जिन्हे जम्मू-कश्मीर में **'मर्ग'** (गुलमर्ग, सोनमर्ग) व उत्तराखण्ड में **'बुग्याल व पयार'** कहा जाता है।

उप हिमालय शिवालिक या बाह्य हिमालय

- मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय की अवस्थिति को बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है।

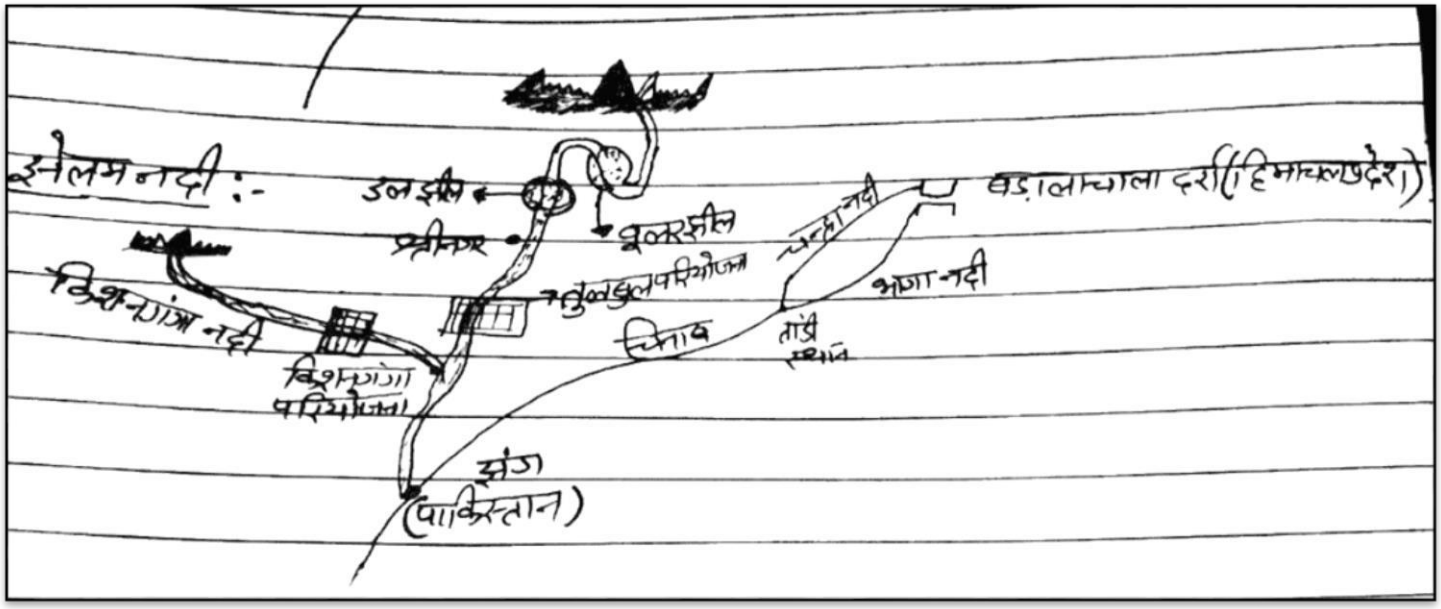

इस नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना बनी हुई है।

- इसकी प्रमुख सहायक नदी ''किशनगंगा'' है जिस पर जम्मू कश्मीर में किशनगंगा परियोजना का निर्माण किया गया है।

गंगा नदी तंत्र

गंगा नदी

गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से हुआ है। जहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है।

- गंगा नदी की कुल लम्बाई 2525 किलोमीटर, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तरप्रदेश में 1450 किलोमीटर तथा बिहार में 445 किलोमीटर व पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है।

- उत्तराखंड में देवप्रयाग में भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी से मिलती है तथा इसके बाद यह गंगा कहलाती है।
- अलकनंदा नदी का स्त्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से हुआ है।
- अलकनंदा, धौली गंगा और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है।

- भागीरथी से देवप्रयाग में मिलने से पहले अलकनंदा से कई सहायक नदियाँ आकर मिलती है।

स्थान	नदी संगम
विष्णु प्रयाग	धौलीगंगा + अलकनंदा
नंद प्रयाग	मंदाकिनी + अलकनंदा
कर्ण प्रयाग	पिंडार + अलकनंदा
रूद्रप्रयाग	मंदाकिनी + अलकनंदा
देवप्रयाग	भागीरथी + अलकनंदा

- गंगा नदी हरिद्वार (उत्तराखंड) के बाद मैंदानी क्षेत्रो में प्रवेश करती है तथा अपने दक्षिण पूर्व में बहते हुए इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में पहुँचती है जहाँ इससे यमुना नदी (गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी) आकर मिलती है।
- इसके बाद यह बिहार व पश्चिम बंगाल मे प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में यह दो वितरिकाओं (धाराओं) में विभाजित हो जाती है। एक धारा हुगली नदी कहलाती है जो कलकत्ता में चली जाती है तथा मुख्य धारा पश्चिम बंगाल बहती हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है।
- बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इससे ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है इसके बाद यह पद्मा के नाम से जानी जाने लगती है।
- अन्त में यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है।

राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या I: इलाहाबाद-हल्दिया जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-I का दर्जा दिया गया है। यह जलमार्ग **गंगा-भागीरथी-हुगली नदी** तंत्र में स्थित है। यह 1620 किमी लंबाई के साथ भारत में **सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग** है।

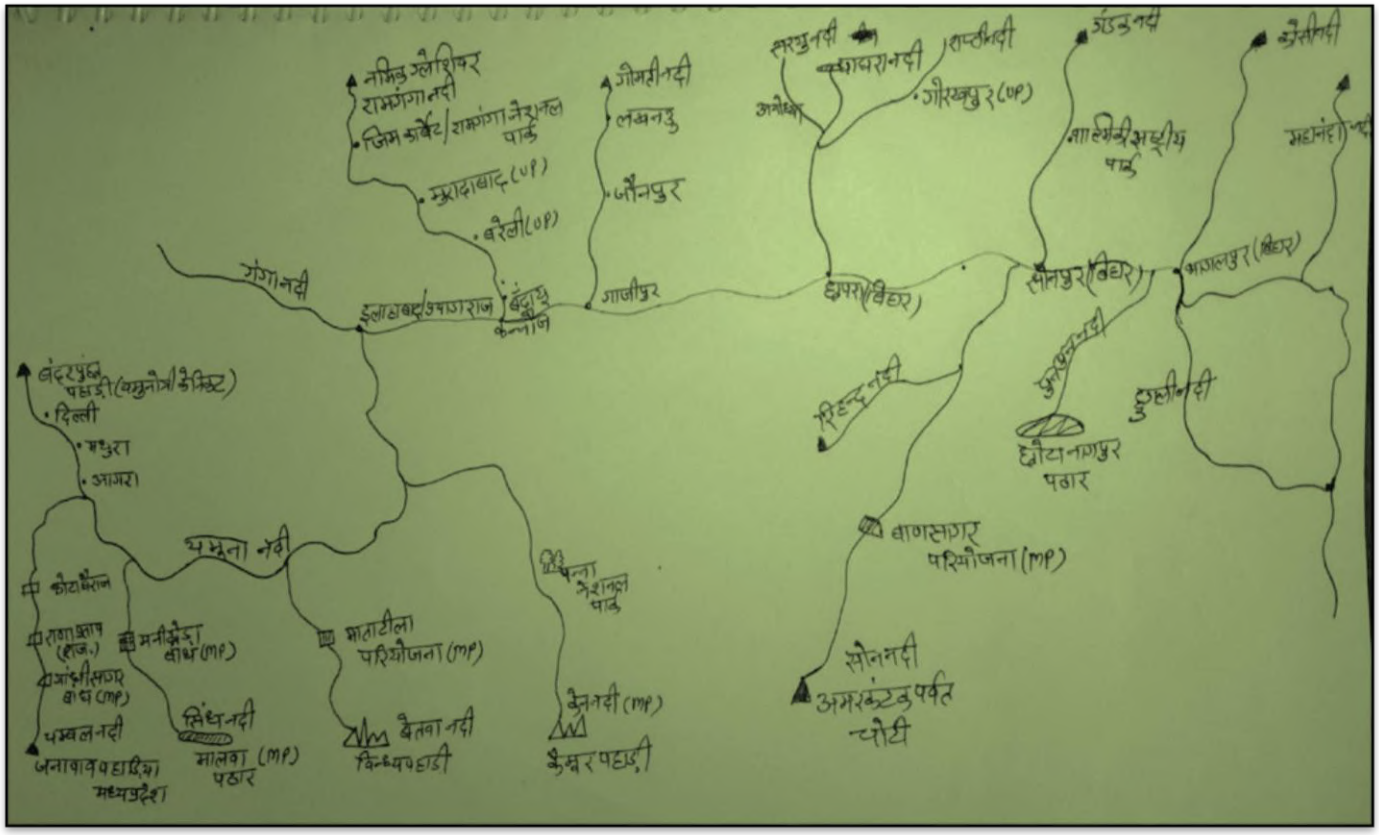

गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ

दाएँ ओर से	बाएँ ओर से
यमुना	रामगंगा
सोन	गोमती
पुनपुन	घाघरा
	गंडक
	कोसी
	महानंदा

यमुना नदी –

- इस नदी का उद्गम उत्तराखण्ड में बदरपूंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से हुआ है।
- यमुना नदी गंगा की सबसे पश्चिमी व सबसे लम्बी नदी है। जो गंगा से इलाहाबाद में आकर मिलती है ।
- प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलने वाली सहायक नदियाँ है इसके बाएँ तट पर हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा आदि नदियाँ मिलती है।
- चम्बल नदी मध्यप्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है तथा राजस्थान के कोटा में बहते हुए उत्तरप्रदेश

में यमुना से आकर मिलती है यह अपनी 'उत्खात् भूमि' (Badlond Topography) के लिए प्रसिद्ध है।

यमुना की सहायक नदियाँ

- **चम्बल**
- उद्गमः- जानापाव की पहाड़ी मेहू (MP)
- **NOTE-** राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी
- उपनाम चर्मवती, राजस्थान की कामधेनु
- राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज (कोटा) इसी नदी पर हुआ है । इस नदी पर 4 बाँध बने हुए है (1) गांधी सागर (MP) 2. राणा प्रताप सागर (चित्तौड़गढ़, राजस्थान) 3. कोटा बैराज (कोटा, राजस्थान) जवाहरसागर (कोटा, राजस्थान)
- इटावा (UP) के निकट यमुना में मिल जाती है ।

सिन्ध

- उद्गम- मालवा का पठार , विदिशा (MP)
- बुंदेलखण्ड (UP) के निकट यमुना में मिल जाती है ।
- इस नदी पर मध्यप्रदेश राज्य में मानीखेडा बाँध बनाया गया है ।

बेतवा

- उद्गम- विध्यांचल पर्वतमाला (MP)
- हमीरपुर (UP)के पास यमुना में विलेय
- इस नदी पर मध्यप्रदेश राज्य में माताटीला परियोजना स्थित है ।

केन

- उद्गम- कैमूर की पहाड़ी (M.P.)
- फतेहपुर के निकट यमुना में विलेय
- यह नदी मध्यप्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है ।

सोन नदी-

- यह मध्यप्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है तथा पटना से पहले गंगा के दायीं तट से इससे मिल जाती है ।

दामोदर नदी

- उद्गम- घोटानागपुर पठार (झारखण्ड)
- दाहिनी ओर से मिलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी।
- यह नदी ढाल पर बहती है तो सीढ़ीनुमा जल प्रपातों का निर्माण करती है तथा ऐसे जल प्रपातों को सोपानी जल प्रपात /Terraced slope / क्षिप्रिकाएँ कहते है ।
- भारत में सर्वाधिक क्षिप्रिकाएँ बनाने वाली नहीं है ।
- इसे बंगाल का शोक कहते है
- विश्व में सर्वाधिक क्षिप्रिकाएँ बनाने वाली नदी- कोलरेडो नदी (U.S.A.)
- बहुउद्देशीय परियोजना के तहत कुल- 8 बाँध बनाए गए ।
- भारत में सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है । कार्य- 1948 में प्रारम्भ
- **NOTE-** विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना- टेनिस (USA)

रामगंगा नदी-

- इसका उद्गम उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में नमीक ग्लेशियर से होता है।
- यहां से उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश राज्यों में बनने के बाद उत्तर प्रदेश के कन्नौज स्थान पर जाकर गंगा नदी में मिल जाती है।
- उत्तराखंड राज्य में नैनीताल नगर स्थित है।
- रामगंगा नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित जिम कार्बेट नेशनल पार्क (नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है) स्थित है। इस नदी के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद, बरेली व बदायूं नगर स्थित है ।

गोमती नदी-

- यह नदी उत्तरप्रदेश के पीलीभीत जिलें से निकलती है तथा गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है।
- लखनऊ व जौनपुर इसी के किनारे बसे हैं ।

घाघरा नदी-

- तिब्बत के पठार में स्थित' मापचाचुंगों हिमनद से निकलती है तथा बाराबंकी जिला (उत्तरप्रदेश) में सरयू (शारदा नदी) इससे आकर मिलती है। और अन्ततः यह छपरा (बिहार) में गंगा से मिलती है

गंडक नदी –

- नेपाल (धौलागिरि व माउंट एवरेस्ट) से इसका उद्गम होता है तथा यह अन्ततः सोनपुर (बिहार) में गंगा से मिल जाती है।
- यह नदी बिहार राज्य के वाल्मीकि नेशनल पार्क से गुजरती है।

कोसी नदी –

- इसका स्त्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरूण निकलती है।
- कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।

महानंदा नदी –

- महानंदा गंगा के बाएँ तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है।

<u>ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र</u> (The Brahmaputra River System)

ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के निकट चेमयांगडुंग ग्लेशियर (हिमनद) से होता है।

- तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो (Tsangpo) के नाम से जाना जाता है। जिसका अर्थ शेरनी होता है ।
- नामचा बरवा के निकट हिमालय को काटकर तथा "U" टर्न बनाते हुए गहरे गार्ज (महाखंड) का निर्माण करती है और दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है।
- कुछ दूर तक दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहने के बाद इसकी दो प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित इसके बाएँ किनारे पर आकर मिलती है।

अध्याय – 2

दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश

- **गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश**

दिल्ली सल्तनत

दिल्ली सल्तनत के क्रमानुसार पाँच वंश निम्नलिखित थे –

- 1.गुलाम वंश / मामलुक वंश (1206-1290)
- 2.खिलजी वंश (1290-1320)
- 3.तुगलक वंश (1320-1414)
- 4.सैय्यद वंश (1414-1451)
- 5.लोदी वंश (1451-1526)
- इनमें सें चार वंश मूलतः तुर्क थे जबकि अंतिम वंश लोदी वंश अफगान था।

गुलाम वंश के शासक –

कुतुबुद्दीन ऐबक (1206-1210 ई .तक)

- भारत में तुर्की राज्य /दिल्ली सल्तनत /मुस्लिम राज्य की स्थापना करने वाला शासक ऐबक ही था।
- गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ई. में की थी। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई।
- ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी।
- ऐबक के राजवंश को कुतुबी राजवंश के नाम से जन जाता है।
- मुहम्मद गौरी ने ऐबक को अमीर-ए-आखूर अस्तबलों का प्रधान के पद पर नियुक्त किया।
- 1192 ई .के तराईन के युद्ध में ऐबक ने गौरी की सहायता की।
- तराईन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया।
- जून 1206 में राज्याभिषेक करवाया तथा सुल्तान की बजाय मलिक/सिपहसालार की उपाधि धारण की यह उपाधि इसे मुहम्मद गौरी ने दी थी।
- इसने अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाये एवं अपने नाम का खुतबा पढ़वाया)खुतबा एक रचना होती थी जो मौलवियों से सुल्तान शुक्रवार की रात को नजदीक की मस्जिद में अपनी प्रंशसा में पढ़वाते थे।(खुतबा शासक की संप्रभूता का सूचक होता था।
- ऐबक ने प्रारंभ इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास को सैनिक मुख्यालय बनाया तथा कुछ समय बाद यल्दौज तथा कुबाजा (मुहम्मद गौरी के दास) के संघर्ष को देखते हुए लाहौर को अपनी राजधानी बनाया।
- ऐबक ने यल्दौज पर आक्रमण कर गजनी पर अधिकार कर लिया, लेकिन गजनी की जनता यल्दौज के प्रति वफादार थी तथा 40 दिनों के बाद ऐबक ने गजनी छोड़ दिया।

ऐबक की मृत्यु –

- 1210 ई .में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मौत हो गई। इसका मकबरा लाहौर में ही बनाया गया है।
- भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को मान जाता है।
- भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मुहम्मद गौरी को माना जाता है। स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है।
- कुत्तुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन् निजामी एवं फख-ए-मुदब्बिर आदि प्रसिद्ध विद्वान थे।
- 'कुव्वत-उल-इस्लाम -"अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनवाया। तथा 'कुतुबमीनार 'का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया और इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुतुबमीनार शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया है।
- कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता एवं दानी प्रवृति के कारण लाखबख्श (लाखों का दानी)कहा गया है।
- इतिहासकार मिन्हाज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी दानशीलता के कारण हातिम द्वितीय की संज्ञा दी है।
- प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था।

इल्तुतमिश (1210-1236 ई)

- मलिक शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था, न कि उसका वंशज। इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ राज्य का रक्षक स्वामी होता है।। उसका समानार्थक शब्द आलमगीर या जहाँगीर विश्व विजेता भी होता है।
- ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बंदायूँ यू.पी. का इक्तेदार था।
- इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक तथा प्रथम वैधानिक सुल्तान था। जिसने दिल्ली को अपने राजधानी बनाया।
- इसने 1229 ई .में बगदाद के खलीफा अल-मुंतसिर-बिल्लाह से सुल्तान की उपाधि व खिलअत इजाजत प्राप्त की।
- इल्तुतमिश ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा मानक सिक्कें टंका चलाया था। (टंका चांदी का होता था)। टंका =48 जीतल
- इल्तुतमिश यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाया था।
- शहरों में इल्तुतमिश ने न्याय के लिये कानी, अमीर-ए-दाद जैसे अधिकारी नियुक्त किये।
- इल्तुतमिश ने अपने 40 तुर्की सरदारों को मिलाकर तुर्कान-ए-चहलगामी नामक प्रशासनिक संस्था की स्थापना की थी।

इक्ता प्रणाली का संस्थापक –

- इल्तुतमिश ने प्रशासन में इक्ता प्रथा को भी स्थापित किया। भारत में इक्ता प्रणाली का संस्थापक इल्तुतमिश ही था। इक्ता का अर्थ है – धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना।

- इसने दोआब गंगा-यमुना क्षेत्र में हिन्दुओं की शक्ति तोड़ने के लिए शम्सीतुर्की उच्च वर्ग सरदारों को ग्रामीण क्षेत्र में इक्तायें जागीर बांटी।
- 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण
- 1227 में नागौर पर आक्रमण
- 1232 में मालवा पर आक्रमण - इस अभियान के दौरान इल्तुतमिश उज्जैन से विक्रमादित्य की मूर्ति उठाकर लाया था।
- 1235 में ग्वालियर का अभियान -इस अभियान के दौरान इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों की बजाय पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया।
- 1236 ई. में बामियान अफगानिस्तान पर आक्रमण। यह इल्तुतमिश का अंतिम अभियान था।
- इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाये ।
- इल्तुतमिश के दरबार में मिन्हाज-उस-सिराज मलिक दानुद्दीन को संरक्षण मिला ।
- अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था।
- इल्तुतमिश से सम्बन्धित 'हश्म-ए-कल्ब 'या कल्ब-ए-सुल्तानी सुल्तान द्वारा स्थापित सेना को कहा जाता था ।
- इल्तुतमिश को भारत में गुम्बद निर्माण का पिता कह जाता है उसने सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया ।

निर्माण कार्य-

- स्थापत्य कला के अन्तर्गत इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य कुतुबमीनार को पूरा करवाया। भारत में सम्भवतः पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जाता है।
- इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद एवं नागौर में अतारकिन के दरवाजा का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली में एक विद्यालय की स्थापना की।

मृत्यु -

- बयाना पर आक्रमण करने के लिए जाते समय मार्ग में इल्तुतमिश बीमार हो गया। इसके बाद इल्तुतमिश की बीमारी बढ़ती गई। अन्ततः अप्रैल 1236 में उसकी मृत्यु हो गई।
- इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था, जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था और उसमें सुधार किया था।
- इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है जो एक कक्षीय मकबरा है।

रजिया सुल्तान (1236-1240 ई).

- सुल्ताना रजिया (उसका पुरा नाम'जलॉलात उद-दिन-रजिया था)का जन्म -1205 ई .में बंदायूं में हुआ था, उसने उमदत -उल -निस्वाँ की उपाधि ग्रहण करी ।
- रजिया ने पर्दा प्रथा को त्यागकर पुरुषों के समान काबा चोगा पहनकर दरबार की कारवाई में हिस्सा लिया।
- दिल्ली की जनता ने उसे 'रजिया सुल्तान' मानकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। हालांकि वजीर जुनैदी उससे प्रसन्न नहीं था इसलिए इस समय उसने ही रजिया के सिंहासनारोहरण का विरोध किया। रजिया ने उसके बाद वजीर का पद ख्वाजा मुहाजबुद्दीन को दिया।
- वह दिल्ली सल्तनत की पहली एवं आखिरी मुस्लिम महिला शासिका थी।
- 'सुल्तान रजियत अल दुनिया वाल दीन बिन्त अल सुल्तान' के रूप में सिक्के ढ़ाले गये।
- शासक बनने पर रजिया ने उदमत-उल-निस्वां की उपाधि धारण की।
- रजिया ने प्रथम अभियान 'रणथम्भौर' पर किया तदुपरान्त ग्वालियर पर हमला किया गया। हालांकि दोनों अभियान असफल रहे।
- रजिया ने महिला वस्त्र त्यागकर पुरुषों के वस्तु काबा (कुर्ता) एवं कुलाह(पगड़ी) धारण करने लगी।
- रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। अक्टूबर 1240 ई. में कैथल में डकैतों ने रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी। और इस तरह 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन तक शासन करने वाली रजिया का अन्त हुआ।''

मुइजुद्दीन बहरामशाह (1240-1242 ई)

- बहरामशाह एक मुस्लिम तुर्की शासक था, जो दिल्ली का सुल्तान था। बहरामशाह गुलाम वंश का था। रजिया सुल्तान को अपदस्थ करके तुर्की सरदारों ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली के तख्त पर बैठाया (1240-1242 ई)
- यह इल्तुतमिश का पुत्र तथा रजिया का भाई था।

अलाउद्दीन मसूद शाह (1242-1246 ई)

- मसूद का शासन तुलनात्मक दृष्टि से शांतिपूर्ण रहा। इस समय सुल्तान तथा सरदारों के मध्य संघर्ष नहीं हुए।
- वास्तव में यह काल बलबन की 'शांति निर्माण' का काल था।

नासिरुद्दीन महमूद (1246-1265 ई)

- यह एक तुर्की शासक था, जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। यह भी गुलाम वंश से था।
- महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी। प्रारंभ में बलबन चहलगामी का सदस्य था।
- बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया। सुल्तान ने बलबन को सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब-ए-ममलिकात का पद दिया।
- सद्र-उस-सुदूर धार्मिक विभाग से संबंधित है ।
- अमीर-एक-आखूर अश्वशाला का प्रधान होता था ।
- सर-ए-जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था ।

ग्यासुद्दीन बलबन 1266-1287

- बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की ।
- इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के बाद खरीदा और उसकी योग्यता से प्रभावित हो कर उसे खासदार का पद सौंपा दिया।
- बलबन ने गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम सुल्तान के पद की गरिमा कायम की और दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा के प्रबंध किया ।

- 17 अगस्त 1946 ई. को लीग द्वारा 'डायरेक्ट एक्शन डे' की शुरुआत, लेकिन अक्टूबर 1946 ई .में इसका अंतरिम सरकार में शामिल हो जाना। यह संवेधनिक सभा से अलग था।
- सितंबर 1946 ई.को काग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन।
- 1946 ई. में कैबिनेट मिशन भारत आया ।
- ब्रिटेन के लेबर पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को जून 1948 ई. के पहले स्वतंत्र करने की घोषणा की ।

लॉर्ड माउंटबेटन मार्च -अगस्त 1947-1948):-

- माउंटबेटन योजना।
- भारत का विभाजन।
- स्वतंत्रता की प्राप्ति।

Do You know: -

- बंगाल का प्रथम गवर्नर-रॉबर्ट क्लाइव
- बंगाल का अतिम गवर्नर-वारेन हेस्टिंग्स
- बंगाल का प्रथम गवर्नर-जनरल -वारेन हेस्टिंग्स
- बंगाल का अंतिम गवर्नर-जनरल -विलियम बैंटिक
- भारत का प्रथम गवर्नर-जनरल -विलियम बैंटिक
- भारत का अंतिम गवर्नर-जनरल -लॉर्ड कैनिंग
- भारत के प्रथम वायसराय -लॉर्ड कॅनिंग
- भारत के अंतिम वायसराय -लॉर्ड माउंटबेटन
- स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर-जनरल -लॉर्ड मउंटबेटन
- भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर-जनरल-सी. राजगपालचारी

Note :-

- 1858 से भारत के गवर्नर-जनरल को गवर्नर-जनरल तथा वयसराय दोनों नामों से जाना जाने लगा।

अध्याय – 3

1857 की क्रांति

1857 की महान क्रांति

- 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बन्दुक ब्राउन बेस के स्थान पर नैं एनफील्ड रायफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बंनाये गए उन्हें रायफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था ।
- इन कारतूसो में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था ।
- यह चर्बी वाले कारतूस ही 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण बना ।
- 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक अवध राज्य से थे ।
- 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे ।
- 29 मार्च 1857 ई. को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था । फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई । मंगल पांडे का सम्बन्ध 34 वी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था ।
- 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 N.I. से 1857 ई. की क्रांति की शुरुआत हुई ।
- 1857 ई. में क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पोर्मस्टेन (लिबरल) थे ।
- **नोट :** अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ई. में आरंभ हुआ । उस समय मेंजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया ।
- 34वीं रेजीमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर नामक स्थान से विद्रोह किया था ।
- रानी लक्ष्मी बाई को अंतिम युद्ध में कैप्टन ह्यूरोज ने परास्त किया था ।
- लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ई. में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था ।
- लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था ।
- वुड घोषणा पत्र 1854 भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा जाता है ।
- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था ।
- धन निष्कासन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था ।
- कार्ल मार्क्स का विचार था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है ।
- स्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत भू-राजस्व के निर्धारण से संबंधित है ।

पंजाब	कीकली , भाँगड़ा, गिद्दा
हिमाचल प्रदेश	जद्दा , नाटी , चम्बा , छपेली
हरियाणा	धमाल , खोरिया , फाग , डाहीकल
महाराष्ट्र	लेजिम , तमाशा , लावनी , कोली
जम्मू - कश्मीर	दमाली , हिकात , दण्डी नाच , राऊ , लडाखी
राजस्थान	गणगौर , झूमर , घूमर , झूलन लीला
गुजरात	गरबा , डाण्डिया रास , पणिहारी , रासलीला , लास्या , गणपति भजन
बिहार	जट - जाटिन , घुमकड़िया , कीर्तनिया , पंवारियाँ , सोहराई , सामा , चकेवा , जात्रा
उत्तर प्रदेश	डांगा , झींका , छाऊ , लुझरी , झोरा , कजरी , नौटंकी , थाली , जद्दा
केरल	भद्रकली , पायदानी , कुड़ीअट्टम , कालीअट्टम , मोहिनीअट्टम
पश्चिम बंगाल	करणकाठी , गम्भीरा , जलाया , बाउल नृत्य , कथि , जात्रा
नागालैण्ड	कुमीनागा , रेंगमनागा , लिम , चोंग , युद्ध नृत्य , खेवा
मणिपुर	संकीर्तन , लाईहरीबा , थांगटा की तलम , बसन्तराम , राखाल
मिजोरम	चेरोकान , पाखुलिया नृत्य
झारखण्ड	सुआ , पंथी , राउत , कर्मा , फुलकी डोरला , सरहुल , पाइका , नटुआ , छऊ
ओडिशा	अग्नि , डंडानट , पैंका , जदूर , मुदारी , आया , सवारी , छाऊ
उत्तराखण्ड	चांचरी / झोड़ा , छपेली , छोलिया , झुमैलो , जागर , कुमायूँ नृत्य
कर्नाटक	यक्षगान , भूतकोला , वीरगास्से , कोडावा
आन्ध्र प्रदेश	घण्टामर्दाला , बतकम्मा , कुम्मी , छड़ी , सिद्धि माधुरी
छत्तीसगढ़	सुआ करमा , रहस , राउत , सरहुल , बार , नाचा , घसिया बाजा , पंथी
तमिलनाडु	कोलट्टम , कुम्मी कारागम्
उत्तराखण्ड	जागर , चौफला , छपेली , छोलिया

प्रसिद्ध वाद्य यन्त्र एवं वादक

वाद्य यन्त्र	वादक
बाँसुरी	हरिप्रसाद चौरसिया , रघुनाथ सेठ , पन्नालाल घोष , प्रकाश सक्सेना , देवेन्द्र मुक्केश्वर , प्रकाश बढ़ेरा , राजेन्द्र प्रसन्ना
वायलिन	बालमुरली कृष्णन , गोविन्दस्वामी पिल्लई, टी एन कृष्णन , आर पी शास्त्री, सन्दीप ठाकुर , बी शशि कुमार, एन राजम
सरोद	अली अकबर खाँ , अलाउद्दीन खाँ, अशोक कुमार राय , अमजद अली खाँ
सितार	पं. रविशंकर , उस्ताद विलायत खाँ
शहनाई	बिस्मिल्ला खाँ , शैलेश भागवत , अनन्त लाल , भोलानाथ तमन्ना , हरिसिंह
तबला	अल्ला रक्खा , जाकिर हुसैन , लतीफ खाँ, गुदई महाराज , अम्बिका प्रसाद
हारमोनियम	रवीन्द्र तालेगांवकर, अप्पा जुलगावकर, महमूद बह्मस्वरूप सिंह, एस. बालचन्द्रन, असद अली, गोपालकृष्ण
वीणा	पं. शिवकुमार शर्मा , तरुण भट्टाचार्य
सारंगी	पं. रामनारायण , ध्रुव घोष , अरुण काले , आशिक अली खाँ , वजीर खाँ , रमजान खाँ
गिटार	विश्वमोहन भट्ट , ब्रजभूषण काबरा , केशव तालेगांवकर , नतिन मजूमदार

लोककला शैलियाँ :-

शैली	राज्य
रंगोली	महाराष्ट्र / गुजरात
अल्पना	पश्चिम बंगाल
मण्डाना , मेहँदी	राजस्थान
अरिपन , गोदना	बिहार
रंगवल्ली	कर्नाटक
ऐपण	उत्तराखण्ड
अदुपना	हिमाचल
चौक पूरना	उत्तर प्रदेश
कलमकारी , मुगगु	आन्ध्र प्रदेश
फुलकारी	हरियाणा

उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान

अध्याय – I

उत्तर प्रदेश राज्य का सामान्य परिचय

सामान्य परिचय		
राज्य	-	उत्तर प्रदेश
राज्य का पूर्व नाम	-	संयुक्त प्रान्त
राज्य का पुर्नगठन	-	I नवम्बर, 1956
राजधानी	-	लखनऊ
राज्य	-	24 जनवरी
क्षेत्रफल	-	2,40,928 किमी
राजभाषा	-	हिंदी (उर्दू दूसरी राजभाषा)
उच्च न्यायालय	-	इलाहबाद (लखनऊ में खण्डपीठ)
कुल मण्डल	-	18
कुल जिले/जनपद	-	75
विधान मण्डल	-	द्विसदनीय
विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या	-	99+1 (एंग्लो इण्डियन)=100
विधानसभा के सदस्यों की संख्या	-	403+1 (एंग्लो इंडियन) =404
लोकसभा के सदस्यों की संख्या	-	80
राज्य के सदस्यों की संख्या	-	31
प्रथम मुख्यमंत्री	-	श्री गोविंद बल्लभ पन्त
प्रथम राज्यपाल	-	श्रीमती सरोजनी नायडू
स्थिति एवं विस्तार -	-	भारत के उत्तर में 23 52 उत्तरी अक्षांश से 30 28 उत्तरी अक्षांश तथा 77 3 पूर्वी देशांतर से 84 39 पूर्वी देशांतर तक
सीमावर्ती राज्य एवं देश –	-	उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश: पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान: दक्षिण में मध्यप्रदेश व् छत्तीसगढ़ और पूर्व में झारखण्ड , बिहार व नेपाल
आकर	-	लम्बवत्
पूर्व से पश्चिम लम्बाई	-	650 किमी
उत्तर से दक्षिण चौड़ाई	-	240 किमी
राजकीय चिन्ह	-	मछली
राजकीय पुष्प	-	पलाश
राजकीय वृक्ष	-	अशोक
राजकीय पक्षी	-	सारस अथवा क्रोच
राजकीय पशु	-	बारहसिंगा
राजकीय खेल	-	हॉकी

प्राकृतिक प्रदेश

(i) तराई प्रदेश,
(ii) गंगा-यमुना का मैदानी प्रदेश,
(iii) दक्षिण का पठारी
(iv)दक्षिण का पठारी प्रदेश

- **संस्कृति परम्पराएँ और सामाजिक**

- **व्यवहार, लोक नृत्य मेले, गीत एवं उत्सव**
- उत्तर प्रदेश में कुल 2,262 मेलों का आयोजन किया जाता है। सर्वाधिक मेले क्रमशः मथुरा, कानपुर, हमीरपुर, झांसी और आगरा में लगते हैं।
- प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा आगरा, लखनऊ, और वाराणसी में महोत्सव मनाया जाते हैं।
- हिंदू-मुस्लिम एकता की दृष्टि से आगरा में 'सुलह कुल' का आयोजन किया गया।
- उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला (कुंभ मेला) प्रयाग में लगता है।
- उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले पीलीभीत जिले में लगते हैं।
- रथ यात्रा मेला – वाराणसी में लगता है ।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में आयोजित किए जाने वाले मेले

मेले	नगर
माघ मेला	इलाहाबाद
दादरी मेला	बलिया
राम बारात	आगरा
रामनवमी मेला	अयोध्या
ताज महोत्सव	आगरा
नवरात्रि मेला	विंध्याचल (मिर्जापुर)
कुंभ का मेला	प्रति 12 वर्ष में प्रयाग में
अर्धकुंभी	प्रयाग के कुंभ के 6 वर्ष उपरांत (प्रति 12 वर्ष में) हरिद्वार में
बटेश्वर	बटेश्वर (आगरा जिला) प्रति
गढ़मुक्तेश्वर	गढ़ गंगा का मेला प्रतिवर्ष
नौचंदीब	मेरठ में प्रतिवर्ष नौचंदी मेला
दशहरा	आगरा-मथुरा (वैसे यह सर्वत्र मनाया जाता है)

लट्ठमार होली	नंद गांव के निकट बरसाना (मथुरा) में प्रतिवर्ष होली पर
बल सुंदरी देवी	अनूप शहर
कंपिल	बांदा
देवीपाटन	गोंडा
श्रावडी व जन्माष्टमी	मथुरा
नवरात्रि मेला	आगरा
कैलाश मेला	आगरा (सावन के तीसरे सोमवार को प्रतिवर्ष)
गणगौर मेला	आगरा में
क.हरिदास जयंती	वृंदावन में प्रतिवर्ष
देव मेला	बाराबंकी
मकनपुर मेला	कानपुर देहात
सैयद सालार	बहराइच
ढाईघाट	शाहजहांपुर
अयोध्या	फैजाबाद
नैमिषारण्य	सीतापुर
गोला गोकरननाथ	खीरी

उत्सव

- हिंदू द्वारा होली, दिवाली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, हनुमान जयंती, करवाचौथ, गणेश चतुर्थी, गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, अनंत चतुर्दशी, नाग पंचमी, गोवर्धन पूजा, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति, शिवरात्रि आदि उत्सव मनाते हैं।
- उत्तर प्रदेश में होली पर्व के अवसर पर 'लट्ठमार होली' का आयोजन बरसाना में किया जाता है।
- अयोध्या परिक्रमा का आयोजन राम जन्मभूमि (अयोध्या) में किया जाता है।
- सिख धर्म के अनुयाई गुरु नानक जयंती गुरु गोविंद सिंह जयंती लोहड़ी आदि बनाते हैं।
- बौद्ध धर्म के अनुयाई बुद्ध पूर्णिमा आदि बनाते हैं।
- जैन धर्म के अनुयाई महावीर जयंती आदि बनाते हैं।
- मुस्लिम धर्म के लोग ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा, मोहर्रम, रमजान, बारावफात शब-ए-बरात मनाते हैं।
- ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस, गुड फ्राईडे, ईस्टर, नववर्ष मनाते हैं।

लोकगीत

- उत्तर प्रदेश में गाए जाने वाले प्रमुख गीत हैं- आल्हा, रसिया, कजरी, ढोला, बिरहा, चैती, पूरन भगत, भर्तहरि, होली गीत आदि जाते हैं।

संग्रहालय एवं अकादमियाँ

- संग्रहालय सांस्कृतिक संपदा, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का केंद्र है, जहां प्राचीन कलाकृतियों को संग्रहित किया जाता है।
- 31 अगस्त, 2002 में उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के रूप में स्थापना की गई। इससे पूर्व समस्त संग्रहालय संस्कृत निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित होते थे।
- उत्तर प्रदेश में लगभग 70 संग्रहालय हैं। इनमें राजकीय संग्रहालय, लखनऊ प्रदेश का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसकी स्थापना 1863 ई. की गई थी।

राज्य संग्रहालय, लखनऊ

- इस संग्रहालय की स्थापना 1863 ई. में की गई थी।
- इस संग्रहालय के संकलन में लगभग एक लाख से अधिक कलाकृतियां हैं।

राजकीय संग्रहालय, मथुरा

- इसकी स्थापना 1874 ई. में की गई थी। 1912 ई. में सरकार ने इसे अपने अधिकार में ले लिया।
- यह एक पुरातत्व संग्रहालय है। इसमें 5,000 पुरातन वस्तुओं का संग्रह है।
- इस संग्रहालय को कुषाणकालीन कला का सर्वोत्तम संग्रह माना जाता है।

राजकीय संग्रहालय, झांसी

- इस संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा 1978 ई.की झांसी में की गई थी।

अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, अयोध्या (फैजाबाद)

- इस संग्रहालय की स्थापना 1988 ई. में अयोध्या में की गई थी।
- इस संग्रहालय में रामकथा विषयक चित्रों, मूर्तियों, अयोध्या परीक्षेत्र के पुरावशेष व दुर्लभ सांस्कृतिक संपदा आदि का संग्रह है।

राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर

- इस संग्रहालय की स्थापना 1988 ई. में की गई थी।
- इस संग्रहालय में बौद्ध धर्म से संबंधित विविध पक्षों का प्रदर्शन, संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है।

लोक कला संग्रहालय, लखनऊ

- इस संग्रहालय की स्थापना 1989 ई. में की गई थी।
- यह संग्रहालय प्रदेश में प्रचलित समस्त लोक कलाओं का प्रदर्शन संरक्षण एवं प्रचार- प्रसार के उद्देश्य किया गया है।

जनपदीय संग्रहालय, सुल्तानपुर

- इस संग्रहालय की स्थापना 1989 ई. में की गई थी।
- यह संग्रहालय जनपद से प्राप्त पुरा संस्थाओं के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था।

राजकीय बौद्ध संग्रहालय, कुशीनगर

- इस संग्रहालय की स्थापना 1995 ई. में उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा की गई थी।
- इस संग्रहालय में बौद्ध धर्म से संबंधित संग्रहित वस्तुएं तथा मूर्तियां हैं।

राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, कन्नौज

- इस संग्रहालय की स्थापना 1996 में की गई थी।

फरवरी	समारोह की तिथि
भारतीय तटरक्षक दिवस	1 फरवरी
विश्व आद्रभूमि दिवस	2 फरवरी
विश्व कैंसर दिवस	4 फरवरी
अंतर्राष्ट्रीय मानव भ्रातृत्व दिवस	4 फरवरी
श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस	4 फरवरी
महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस	6 फरवरी
अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह	7 फरवरी
सुरक्षित इंटरनेट दिवस (फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन)	7 फरवरी
अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस	8 फरवरी
विश्व दाल दिवस	10 फरवरी
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस	10 फरवरी
विज्ञान में बालिकाओं तथा महिलाओं का दिवस	11 फरवरी
विश्व यूनानी दिवस	11 फरवरी
एंटी स्मगलिंग डे	11 फरवरी
राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस	12 फरवरी
डार्विन दिवस	12 फरवरी
अब्राहम लिंकन का जन्मदिन	12 फरवरी
विश्व रेडियो दिवस	13 फरवरी
राष्ट्रीय महिला दिवस (सरोजिनी नायडू की जयंती)	13 फरवरी
वेलेंटाइन्स डे	14 फरवरी
अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस	15 फरवरी
ताज महोत्सव	18 फरवरी
मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस	19 फरवरी
विश्व सामाजिक न्याय दिवस	20 फरवरी
विश्व पैंगोलिन दिवस (फरवरी का तीसरा शनिवार	20 फरवरी
अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड दिवस	20 फरवरी
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस	21 फरवरी
विश्व चिंतन दिवस	22 फरवरी
विश्व स्काउट दिवस	22 फरवरी
विश्व शांति और समझ दिवस	23 फरवरी
केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस	24 फरवरी
राज्य बालिका संरक्षण दिवस (तमिलनाडु)	24 फरवरी
संत रविदास जयंती	27 फरवरी
विश्व एनजीओ दिवस	27 फरवरी
राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस	27 फरवरी
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस	28 फरवरी
दुर्लभ रोग दिवस	28 फरवरी
मार्च	**समारोह की तिथि**
विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस	1 मार्च
शून्य भेदभाव दिवस	1 मार्च
सिविल लेखा दिवस	1 मार्च
विश्व समुद्री घास दिवस	1 मार्च
कर्मचारी प्रशंसा दिवस	2 मार्च
विश्व श्रवण दिवस	3 मार्च
विश्व वन्यजीव दिवस	3 मार्च
यौन शोषण विरोध दिवस	4 मार्च
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस	4 मार्च
राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस	6 मार्च
जनऔषधि दिवस	7 मार्च
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	8 मार्च
CISF स्थापना दिवस	10 मार्च
National Gestational Diabetes Mellitus (GDM) Awareness Day	10 मार्च
अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस	10 मार्च
विश्व किडनी दिवस (मार्च के दुसरे गुरुवार)	11 मार्च

रोहित टोकस	कांस्य	मेंस 67 किग्रा वेल्टरवेट	बॉक्सिंग
भाविना पटेल	स्वर्ण	वूमेंस सिंगल्स क्लासेस 3-5	पैरा टेबल टेनिस
सोनलबेन पटेल	कांस्य	वूमेंस सिंगल्स क्लासेस 3-5	पैरा टेबल टेनिस
महिला हॉकी टीम	कांस्य	वूमेंस टीम	हॉकी
नीतू घंगास	स्वर्ण	वूमेंस 48 किग्रा मिनिममवेट	बॉक्सिंग
अमित पंघल	स्वर्ण	मेंस फ्लाईवेट 51 किग्रा	बॉक्सिंग
एल्धोस पॉल	स्वर्ण	मेंस ट्रिपल जंप	एथलेटिक्स
अब्दुल्ला अबूबकर	रजत	मेंस ट्रिपल जंप	एथलेटिक्स
संदीप कुमार	कांस्य	मेंस 10000 मीटर रेस वॉक	एथलेटिक्स
अन्नू रानी	कांस्य	वूमेंस जैवलिन थ्रो	एथलेटिक्स
निकहत जरीन	स्वर्ण	वूमेंस 50 किग्रा लाइट फ्लाईवेट	बॉक्सिंग
शरत कमल/जी साथियान	रजत	मेंस डबल्स	टेबल टेनिस
दीपिका पल्लीकल / सौरव घोषाल	कांस्य	मिक्स्ड डबल्स	स्क्वैश
किदांबी श्रीकांत	कांस्य	मेंस सिंगल्स	बैडमिंटन
भारतीय महिला टीम	रजत	वूमेंस T20	क्रिकेट
शरत कमल/श्रीजा अकुला	स्वर्ण	मिक्स्ड डबल्स	टेबल टेनिस
त्रिशा जॉली / पुलेला गायत्री गोपीचंद	कांस्य	वूमेंस डबल्स	बैडमिंटन
सागर अहलावत	रजत	मेंस 92+ किग्रा सुपर हेवीवेट	बॉक्सिंग
पीवी सिंधु	स्वर्ण	वूमेंस सिंगल्स	बैडमिंटन
लक्ष्य सेन	स्वर्ण	मेंस सिंगल्स	बैडमिंटन
साथियान गणानाशेखरन	कांस्य	मेंस सिंगल्स	टेबल टेनिस
सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी / चिराग शेट्टी	स्वर्ण	मेंस डबल्स	बैडमिंटन
शरत कमल	स्वर्ण	मेंस सिंगल्स	टेबल टेनिस
भारतीय पुरुष हॉकी टीम	रजत	मेंस हॉकी	हॉकी

एशियाई खेल

- सन् 1947 में नई दिल्ली में एशियाई देशों के सम्मलेन में एशियाई देशों की अन्तर्राष्ट्रीय खेलों की स्पर्द्धा हर चार वर्ष पर आयोजित करने की योजना बनायी गई।
- प्रो. जी.डी. सोढी को इस प्रस्ताव का श्रेय जाता है, जिनका उद्देश्य खेलों के माध्यम से एशियाई देशों को एक-साथ करना था।
- एशियाई खेल संघ ने चमकते सूर्य को अपना प्रतीक चिह्न घोषित किया।
- पहले एशियाई खेलों की प्रतियोगिता का उद्घाटन 4 मार्च, 1951 को नई दिल्ली में हुआ था।

एशियन गेम्स 2023

- भारत ने 655 एथलीटों के साथ 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोऊ में एशियन गेम्स 2023 में हिस्सा लिया।
- प्रत्येक चार साल पर होने वाला यह टूर्नामेंट साल 2022 में होना था, लेकिन COVID-19 के कारण इसे एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
- भारत ने अपने एशियाई खेल 2023 अभियान को 107 पदकों की रिकॉर्ड संख्या के साथ समाप्त किया जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल रहे।
- इसके साथ ही भारत ने जकार्ता 2018 में हासिल किए गए अपने पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जहां भारत के 570

एथलीटों के दल ने कुल 70 पदक जीते थे, जिसमें 16 स्वर्ण, 23 रजत और 31 कांस्य शामिल थे।

- चीन 201 स्वर्ण के साथ एशियन गेम्स 2023 मेडल टैली में जापान (52) और दक्षिण कोरिया (42) से आगे रहा।

एशियन गेम्स 2023: भारत के पदक विजेता

नंबर	एथलीट/टीम	खेल	इवेंट	पदक
1	भारतीय टीम	शूटिंग	बूमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम	सिल्वर
2	भारतीय टीम	रोइंग	मेंस लाइटवेट डबल स्कल्स	सिल्वर
3	भारतीय टीम	रोंइंग	मेंस पेयर	ब्रॉन्ज
4	भारतीय टीम	रोइंग	मेंस 8	सिल्वर
5	रमिता	शूटिंग	बूमेंस 10 मीटर एयर राइफल	ब्रॉन्ज
6	भारतीय टीम	शूटिंग	मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम	गोल्ड
7	भारतीय टीम	रोइंग	मेंस 4	ब्रॉन्ज
8	भारतीय टीम	रोइंग	मेंस क्वाडरपल	ब्रॉन्ज
9	एश्वर्य प्रताप सिंह तोमर	शूटिंग	मेंस 10 मीटर एयर राइफल	ब्रॉन्ज
10	भारतीय टीम	शूटिंग	मेंस 25 मीटर रैंपिड फायर पिस्टल टीम	ब्रॉन्ज
11	भारतीय क्रिकेट टीम	क्रिकेट	बूमेंस T20 क्रिकेट	गोल्ड
12	नेहा ठाकुर	सेलिंग	गर्ल्स डिंगी - ILCA4	सिल्वर
13	इबाद अली	सेलिंग	मेंस विंडसर्फर - RS:X	ब्रॉन
14	भारतीय टीम	इक्वेस्ट्रियन	ड्रेसेज मिक्स्ड टीम	गोल्ड
15	भारतीय टीम	शूटिंग	बूमेंस 50 मीटर 3 राइफल पोजीशन टीम	सिल्वर
16	भारतीय टीम	शूटिंग	बूमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल टीम	गोल्ड
17	सिफ्ट कौर सामरा	शूटिंग	बूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन	गोल्ड
18	आशी चौंकसी	शूटिंग	बूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन	ब्रॉन्ज
19	भारतीय टीम	शूटिंग	मेंस स्कीट टीम	ब्रॉन्ज
20	विष्णु सरवनन	सेलिंग	मेंस डिंगी - ICLA7	ब्रॉन्ज
21	ईशा सिंह	शूटिंग	बूमेंस 25 मीटर पिस्टल	सिल्वर
22	अनंतजीत सिंह नरुका	शूटिंग	मेंस स्कीट	सिल्वर
23	रोशिबिना देवी	वुशु	बूमेंस 60 किग्रा	सिल्वर
24	भारतीय टीम	शूटिंग	मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम	गोल्ड
25	अनुश अग्रवाल	इक्वेस्ट्रियन	ड्रेसेज इंडिविजुअल	ब्रॉन्ज
26	भारतीय टीम	शूटिंग	बूमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम	सिल्वर
27	भारतीय टीम	शूटिंग	मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम	गोल्ड
28	भारतीय टीम	टेनिस	मेंस डबल्स	सिल्वर
29	पलक	शूटिंग	बूमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल	गोल्ड
30	ईशा सिंह	शूटिंग	बूमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल	सिल्वर
31	भारतीय टीम	स्क्वैश	बूमेंस टीम	ब्रॉन्ज
32	ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर	शूटिंग	मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन	सिल्वर
33	किरण बालियान	एथलेटिक्स	महिला शॉट पुट	ब्रॉन्ज

- NHRC मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है।
- आयोग प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिये प्राप्त उपायों के प्रति भी जागरूक करता है।
- आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियाँ हैं और यह अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है।
- इसके पास मुआवज़े या हर्जाने के भुगतान की सिफ़ारिश करने का भी अधिकार है।
- NHRC की विश्वसनीयता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास हर साल बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होती हैं।
- यह राज्य तथा केंद्र सरकारों को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठाने की सिफ़ारिश भी कर सकता है।
- आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है।

NHRC की सीमाएँ

- NHRC के पास जाँच करने के लिये कोई भी विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में यह संबंधित सरकार को मामले की जाँच करने का आदेश देता है।
- पीड़ित पक्ष को व्यावहारिक न्याय देने में असमर्थ होने के कारण भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने इसे 'India's teasing illusion' की संज्ञा दी है।
- NHRC के पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का ही अधिकार है, वह किसी को निर्णय लागू करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता।
- कई बार धन की अपर्याप्ता भी NHRC के कार्य में बाधा डालती है।
- NHRC उन शिकायतों की जाँच नहीं कर सकता जो घटना होने के एक साल बाद दर्ज कराई जाती हैं और इसीलिए कई शिकायतें बिना जाँच के ही रह जाती हैं।
- अक्सर सरकार या तो NHRC की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर देती है या उन्हें आंशिक रूप से ही लागू किया जाता है।
- राज्य मानवाधिकार आयोग केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकते, जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि उन्हें केंद्र के तहत आने वाले सशस्त्र बलों की जाँच करने से रोका जाता है।
- केंद्रीय सशस्त्र बलों के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों को भी काफी सीमित कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था

- **उत्तर प्रदेश पुलिस** भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में 236,286 वर्ग कि.मी के क्षेत्र में 20 करोड़ जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार) में न्याय एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु उत्तरदायी पुलिस सेवा है।
- ये पुलिस सेवा न केवल भारत वरन विश्व की सबसे बड़ी पुलिस सेवा है। सेवा के महानिदेशक-पुलिस की कमान की शक्ति 1.70 लाख के लगभग है जो 75 जिलों में 33 सशस्त्र बटालियनों एवं अन्य विशिष्ट स्कंधों में बंटी व्यवस्था का नियामन करती है।
- इन स्कंधों में प्रमुख हैं: इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, एंटी-करप्शन, तकनीकी, प्रशिक्षण एवं अपराध-विज्ञान, आदि
- भारत की वर्तमान पुलिस प्रणाली 1861 के पुलिस अधिनियम के परिणामस्वरूप बनी थी। ये एक्ट 1860 में एच.एम. कोर्ट की अगुवाई में गठित पुलिस आयोग की अनुशंसाओं के बाद अधिनियमित हुआ था। यही कोर्ट उत्तर-पश्चिम प्रांत और अवध प्रान्त के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक बने।

पुलिस महकमे का ढांचा निम्नलिखित आठ संगठनों के रूप में खड़ा किया गया था :

1. प्रांतीय पुलिस
2. राजकीय रेलवे पुलिस
3. शहर पुलिस
4. छावनी पुलिस
5. नगर पुलिस
6. ग्रामीण एवं सड़क मार्ग पुलिस
7. नहर पुलिस
8. बर्कन्दाज गार्ड (अदालतों की सुरक्षा के लिए)

- समय के साथ सिविल पुलिस का विकास होता गया और भारत की स्वतन्त्रता के बाद श्री बी. एन. लाहिरी उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक बने। अपराध नियंत्रण और विधि-व्यवस्था बनाए रखने में प्रदेश पुलिस के कार्य प्रदर्शन को बहुत सराहा गया और इसे देश के पहले पुलिस बल के रूप में 13 नवंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 'कलर्स' प्राप्त करने का गौरवपूर्ण सौभाग्य हासिल है।
- तभी से इस पुलिस बल ने सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द और विधि-व्यवस्था बनाए रखने, और अपराध पर नियंत्रण रखने की अपनी गौरवशाली परंपरा को कायम रखा हुआ है ताकि जनमानस के बीच सुरक्षा की भावना समाहित करने और राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके।
- संगठित अपराध, आर्थिक अपराध इत्यादि से निपटने के लिए प्रदेश पुलिस बल में विशेषज्ञता प्राप्त विभिन्न प्रकोष्ठ अस्तित्व में आए हैं।

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें - ⬇ (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - https://shorturl.at/qBJ18 (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6URO

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKj14nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये
RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)

whatsapp - https://wa.link/x78yp5 1 web.- http://surl.li/oqkad

FREE SAMPLE

SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्टूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

Our Selected Students

Approx. 137+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
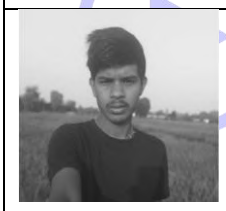	**Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati**	SSC CHSL tier-1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A.	**Mahender Singh**	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumangarh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumangarh
N.A.	**Mangilal Siyag**	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

FREE SAMPLE

	MONU S/O KAMTA PRASAD	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
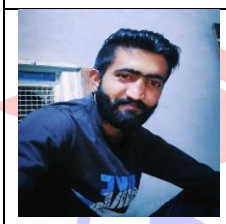	**Govinda Jangir**	RAS	1231450	Hanumangarh
N.A.	**Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma**	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawala
N.A.	**LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL**	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A.	**Ramchandra Pediwal**	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village-gudaram singh, teshil-sojat
N.A.	**OM PARKSH**	RAS	N.A.	Teshil-mundwa Dis- Nagaur
N.A.	**Sikha Yadav**	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
	Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel	Rac batalian	729141135	Dis.- Bhilwara
N.A.	**mukesh kumar bairwa s/o ram avtar**	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUNU
N.A.	**Rinku**	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	**Rupnarayan Gurjar**	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Jagdish Jogi	EO/RO (84 Marks)	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota

And many others.....

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp करें – https://wa.link/x78yp5

Online order करें – http://surl.li/oqkad

Call करें - 9887809083

FREE SAMPLE